न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—110 / 2017 / 225(2017 / 00110)

1. अब्दुल सलीम शोरगर पुत्र भूरे खां शोरगर, जाति मुसलमान, निवासी सरवाड़, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. जायदा पत्नी अब्दुल रफीक,
2. सद्दाम हुसैन पुत्र अब्दुल रफीक,
3. जावेद उर्फ साजिद पुत्र अब्दुल रफीक,
4. रूकसाना पुत्री अब्दुल रफीक,
   समस्त जाति मुसलमान, निवासी सरवाड़, तह0 व थाना सरवाड़, जिला अजमेर ।
5. तहसीलदार एवं उप पंजीयक, तहसील कार्यालय सरवाड़, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ , दिनांक 31.3.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 90 / 2017.

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांट ।
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 5.

निर्णय

दिनांकः—15.03.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के आदेश दिनांक 31.3. 2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट / प्रार्थी ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जगपुरा, तहसील सरवाड़ की जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 में खाता संख्या नया 46 पुराना 37 खसरा नंबर 3097 रकबा 1.10.00 बीघा एवं 0.01.00 बीघा कुल 1.11.00 बीघा भूमि दर्ज है । उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पति व पिता की सयुंक्त खातेदारी में चली आ रही है । उक्त आराजी प्रार्थी की पैतृक आराजियात है तथा प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद प्रार्थी एकमात्र संतान होने से एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पति एवं पिता शफी मोहम्मद के गोद चले जाने से प्रार्थी के तन्हा कब्जे स्वामित्व के मालिकाना हक अधिकार में चली आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत कर अपने अवैध इंद्राज के आधार पर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है । अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का विवादित आराजी से कोई संबंध नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से

पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 31.3. 2017 द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का विवादित आराजियात से कोई संबंध नहीं है । वादग्रस्त आराजियात का अवैधानिक रूप से स्वंय के गोद जाने के उपरांत भी रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के पिता अब्दुल रफीक द्वारा स्वंय के नाम का अंकन राजस्व अभिलेख में शामलाती रूप से दर्ज करवाया गया है । केवल मात्र इस आधार पर कि नाम दरूस्ती के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट द्वारा आपत्ति नहीं किये जाने के आधार पर एवं रेस्पो0 को वादग्रस्त आराजियात में संयुक्त खातेदार दर्ज होने के आधार पर रेस्पो0 का कब्जा मानकर प्रार्थना पत्र निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र के साथ नगर पालिका द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें शफी मोहम्मद का मकान का नामांतकरण रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के पिता के नाम स्वीकृत होने का दस्तावेज प्रस्तुत किया था जिससे यह स्पष्ट था कि भूरे खां के बड़े भाई शफी मोहम्मद के यहां रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के पित व पिता अब्दुल रफीक गोद गये है । सामाजिक परपंरा के अनुसार गोद जाने से उनके समस्त अधिकार भूरे खां की सम्पति में समाप्त हो गये थे । अधी0न्याया0 ने प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं का निस्तारण किये बिना धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के प्रार्थना पत्र को निर्णित किया है जो विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 स्वीकार कर रेस्पो0 को मूल वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित भूमि पैतृक है जो राजस्व रिकार्ड में अपीलांट एवं रेस्पो0 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है । रेस्पो0 विवादित भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज है जिन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलबध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन उपरांत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी के मूल खातेदार भूरे खां पुत्र मोला बक्ष थे जिनकी मृत्यु उपरांत विवादित आराजी का विरासत नामांतकरण संख्या 42 दिनांक 23. 6.1985 को भूरे खां के स्थान पर कलसूम बेवा भूरे खां व अब्दुल सलीम व सद्दीक पि0 भूरे खां के नाम दर्ज किया गया है । अपीलांट का कथन है कि रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के पति व पिता अब्दुल रफीक के शफी मोहम्मद के गोद चले जाने से विवादित आराजियात में कोई हक व हिस्सा नहीं गया था । इस तथ्य का निस्तारण मूल वाद में बाद साक्ष्य निर्धारित होगा किन्तु वर्तमान में विवादित आराजी अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सहखातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया

जा सकता है । अधी0न्याया0 ने इसी तथ्य को ध्यान में रखकर अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 31.3.2017 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 15.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर